न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या : 110/2014

सायल :- बनाम गैरसायलान :-

1. लक्ष्मणपुरी पुत्र बालूपुरी
जाति-पुरी (गोस्वामी) निवासी-आगेवा
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

1. गिरधारीपुरी पुत्र बालूपुरी
2. मंगलपुरी पुत्र बालूपुरी
3. पिस्तापुरी पुत्री बालूपुरी
4. सुखडीपुरी पुत्र बालूपुरी
5. मैनादेवी पुत्री बालूपूरी
6. कन्चनदेवी पुत्री बालूपुरी
7. गणपतिदेवी पुत्री बालूपुरी
   जातियान-पुरी (गोस्वामी)
   निवासी-आगेवा, तहसील-जैतारण
   जिला-पाली (राज0)
8. तहसीलदार एवं उपपंजीयन
   अधिकारी, जैतारण
   तहसील-जैतारण जिला-पाली
9. पटवारी, पटवार हल्का-आगेवा,
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजूः. 08/11/2012**

उपस्थितः- 1. श्री धर्मेश जांगिड, अधिवक्ता, सायल।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, गै0सा0।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 20/07/2015**

वकील मय सायल ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-आगेवा, तहसील-जैतारण में सायल की खातेदारी व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 108,110,105 कुल 3 कुल रकबा 34 बीघा 9 बीस्वा किस्म बारानी दोयम, उक्त कृषि भूमि नई खाता संख्या 24, 341, 406 तथा खसरा नम्बर 108,110,105 गांव-आगेवा तहसील-जैतारण की आबादी से करीबन लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर आयी हुई है व आम सडक के किनारे पर हैं, जहां उक्त भूमि के पास में कोई भी सरकारी भवन या औद्योगिक संस्था आयी हुई नही है तथा न ही पास में कोई नहर, तालाब, व कुआं है, जिससे उक्त भूमि की पिलाई होती हो, इसमे सिर्फ साधारण श्रावण की फसल ही होती हैं। सायल उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा हैं तथा मौके पर सायल का कब्जा हैं, उक्त भूमि सडक के किनारे आयी हुई होने से जमीन के वर्तमान में भाव बढ गये है, गैरसायलान की नियत बंद हो गई है व उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहता हैं तथा सम्पूर्ण रकबा बेचान करना चाहता हैं। जबकि उनको ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हैं, गैरसायलान संख्या व शक्ति में ज्यादा है व लाठी के आधार पर उक्त वर्णित सम्पूर्ण कृषि भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में सफल हो जाते हैं, तो सायल को असीम

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

क्षति होगी व अपने खातेदारी साम्पेतिक व कानूनी अधिकारों से महरुम हो जायेगा, जिसके लिये सायल को विभिन्न प्रकार की दीवानी व फौजदारी मुकदमेबाजी करनी पडेगी, जिससे सायल खर्चे से जैरबार हो जायेगा, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर से संभव नहीं होगी व क्षतिपूर्ति को रुपयो में नहीं आंका जा सकता, इसलिये प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का सायल के द्वारा श्रीमन के समक्ष विरुद्ध गैरसायलान के प्रस्तुत किया हैं। गैरसायलान सायल के हिस्से की कृषि भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता हैं, इसके लिये गैरसायलान हमेशा सायल के साथ लडाई झगडा गाली गलोच करने को आये दिन उतारु रहते है तथा सम्पूर्ण रकबा उक्त वर्णित को गैरसायलान संख्या एक से लगायत सात बेचान, रहन करना चाहते, गैरसायलान को ऐसा करने से दावें के निर्णय तक रोका जावें। गैरसायल संख्या 8 से 9 को म्यूटेशन भरने व कोई भी दस्तावेज उक्त भूमि का विक्रय बाबत या अन्य कोई पंजीयन करने से दावें के निर्णय तक रोका जावें। सायल पद संख्या 1 में वर्णित कृषि का काबिज खातेदार काश्तकार, काश्तकार होने से इनका प्रथम दृष्टया मजबूत मामला है तथा मौके पर कब्जा भी सायल का है, इसलिये सुविधा का संतुलन भी सायला के पक्ष मे बखूबी साबित हैं, यदि गैरसायलान ने उक्त कृषि भूमि को अवैध व गैरकानूनी रुप से कब्जा, बेचान रहन बक्शीश वसीयत कर दिया व सायल के हिस्से की कब्जा काश्त कृषि भूमि में किसी प्रकार का व्यवधान उपभोग / उपयोग में दखलन्दाजी की, तो सायल को असीम क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं होगी। अन्य कोई सहायता जो सायल के पक्ष में हो दिलवायी जावें।

सायल का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत फॉलोअप केम्प न्यायालय हाजा में पेश हुई। वकील गै0सा0 जबाब पेश करने का समय चाहते हैं। बार–बार समय दिये जाने के बावजूद जबाब पेश नहीं करने से जबाब बन्द किया जाता हैं। गै0सा0 के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 26/06/2014 को जारी की गई हैं। वर्तमान राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गै0सा0 को पाबन्द किया गया था।

–:: आदेश ::–

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि राजस्व मौजा–आगेवा, पटवार क्षैत्र–आगेवा, तहसील–जैतारण में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 108,110,105 कुल 3 कुल रकबा 34 बीघा 9 बीस्वा किस्म बारानी दोयम की भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गै0सा0 को पाबन्द किया गया था। न्यायालय हाजा द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 26/06/2014 को वाद के निर्णय तक पुख्ता किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक २8/07/2015 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner